

प्रारंभिक परीक्षा

बांग्लादेश का भ्रष्टाचार निरोधक पैनल रूस समर्थित रूपपुर परमाणु परियोजना की जांच करेगा

संदर्भ

बांग्लादेश में एक भ्रष्टाचार विरोधी संगठन ने 12.65 बिलियन डॉलर के रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की जांच शुरू कर दी है।

रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में -

- स्थान: पबना जिला, ढाका से 160 किमी दूर (पद्मा (गंगा) नदी के पूर्वी तट पर)
- यह बांग्लादेश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इसमें 1,200 मेगावाट की दो इकाइयां हैं।
- इसका निर्माण 2017 में शुरू हुआ था। पूरा होने के बाद यह पूरी तरह से चालू होने पर उत्पादन क्षमता के मामले में बांग्लादेश का सबसे बड़ा बिजली स्टेशन बन जाएगा।
- यह परियोजना अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा समर्थित है।
- परियोजना में भारत की भूमिका:
 - रूपपुर परियोजना तीसरे देशों(अविकसित देशों) में परमाणु ऊर्जा परियोजनाएं शुरू करने के लिए भारत-रूसी समझौते के तहत पहली पहल है।
 - न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया(NPCIL) भारत से परियोजना का प्रमुख प्राधिकरण है।
 - भारत परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह(NSG) का सदस्य नहीं है और इसलिए परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों के निर्माण में सीधे भाग नहीं ले सकता है।
- भारत ने 14 देशों के साथ असैन्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं: अमेरिका, फ्रांस, रूस, कनाडा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, ब्रिटेन, जापान, वियतनाम, बांग्लादेश, कजाकिस्तान, दक्षिण कोरिया और चेक गणराज्य।

अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA)

- यह संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अंतर्गत एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन (1957 में स्थापित) है।
- इसका उद्देश्य समाज में परमाणु प्रौद्योगिकी के योगदान को अधिकतम करना है, साथ ही इसके शांतिपूर्ण उपयोग को भी सुनिश्चित करना है।
- सदस्य देश: 175 (भारत इसकी स्थापना के समय से ही इसका सदस्य रहा है।)
- मुख्यालय: वियना, ऑस्ट्रिया।

परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG)

- NSG परमाणु आपूर्तिकर्ता देशों का एक समूह है जिसकी स्थापना 1974 में हुई थी।
- इसका उद्देश्य परमाणु निर्यात और परमाणु-संबंधी निर्यात के लिए दो दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के माध्यम से परमाणु हथियारों के अप्रसार में योगदान करना है।
- NSG दिशानिर्देश शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु व्यापार को परमाणु हथियारों के प्रसार में योगदान करने से रोकने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
- सदस्य: 48 (जिसमें 5 परमाणु हथियार संपन्न देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस शामिल हैं)। भारत इसका सदस्य नहीं है।
- यह एक अनौपचारिक संगठन है और इसके दिशानिर्देश बाध्यकारी नहीं हैं।
- सदस्यता सहित सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं।

UPSC PYQ

प्रश्न: भारतीय संदर्भ में, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के साथ 'अतिरिक्त प्रोटोकॉल' की पुष्टि करने का क्या निहितार्थ है? (2019)

- (a) असैन्य परमाणु रिएक्टर IAEA सुरक्षा उपायों के अंतर्गत आते हैं।
- (b) सैन्य परमाणु प्रतिष्ठान IAEA के निरीक्षण के अंतर्गत आते हैं।
- (c) देश को परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) से यूरेनियम खरीदने का विशेषाधिकार प्राप्त होगा।
- (d) देश स्वतः ही NSG का सदस्य बन जाता है।

उत्तर: (a)

स्रोत:

- [द हिंदू - बांग्लादेश का भ्रष्टाचार निरोधक पैनल रूस समर्थित रूपपुर परमाणु परियोजना की जांच करेगा](#)

ऑक्टोपस और उनके सजातीय जीव, पशु कल्याण की नई दिशा हैं

संदर्भ

सेफेलोपोड्स की अद्वितीय बुद्धिमत्ता और व्यवहार उन्हें पशु कल्याण संबंधी विचारों में सबसे आगे रखते हैं। उनके उन्नत संज्ञानात्मक कौशल और अनुकूलनशीलता पारंपरिक नैतिक ढांचे को चुनौती देते हैं, जो कशेरुकियों के लिए समान नियमों की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं।

सेफेलोपोड्स(Cephalopods) के बारे में -

- सेफेलोपोड्स समुद्री अकशेरुकी जीव हैं जो फाइलम मोलस्का के भीतर सेफेलोपोडा वर्ग से संबंधित हैं। (जैसे स्किड, ऑक्टोपस, कटलफिश और नाटिलस)
- विशेषताएँ:
 - **शारीरिक संरचना:** शिकार को पकड़ने और पर्यावरण को महसूस करने के लिए सक्शन कप या हुक से सुसज्जित नरम शरीर।
 - **तंत्रिका तंत्र और बुद्धिमत्ता:**
 - अत्यधिक विकसित तंत्रिका तंत्र और शरीर के आकार के सापेक्ष बड़ा मस्तिष्क।
 - ऑक्टोपस, कटलफिश और स्किड सहित सेफेलोपोड्स कशेरुकियों की तुलना में बुद्धिमत्ता प्रदर्शित करते हैं।
 - यह बुद्धिमत्ता उनकी उन्नत संज्ञानात्मक क्षमताओं, सीखने, स्मृति और समस्या-समाधान कौशल से प्रमाणित होती है।
 - ऑक्टोपस ग्लोबल में लगभग 500 मिलियन न्यूरोन्स होते हैं, जो एक भूखे, खरगोश या टर्की के समान होते हैं।
 - 300 मिलियन से अधिक न्यूरोन्स उनकी भुजाओं (मिनी-मस्तिष्क) में वितरित होते हैं, जो जटिल भुजाओं की गतिविधियों और संवेदी प्रसंस्करण को सक्षम करते हैं।
 - **गति:**
 - **जेट प्रोपल्शन:** तेजी से आगे बढ़ने के लिए साइफन के माध्यम से अपने मेंटल कैविटी से पानी को बलपूर्वक बाहर निकालते हैं।
 - **छलावरण और रक्षा:**
 - **क्रोमेटोफोरस:** विशिष्ट वर्णक कोशिकाएं संचार, छलावरण और शिकारियों से बचाव के लिए तेजी से रंग परिवर्तन की अनुमति देती हैं।
 - **स्याही की थैली:** शिकारियों के लिए धुँके परदे जैसा विकर्षण उत्पन्न करने के लिए स्याही बाहर निकालती है।
- **जैविक प्रेरणा:**
 - जेट प्रणोदन यांत्रिकी पानी के नीचे वाहन डिजाइन को प्रेरित करती है।
 - उन्नत सामग्रियों और सैन्य अनुप्रयोगों के लिए छलावरण क्षमताओं का अध्ययन किया गया।

स्रोत:

- [द हिन्दू - ऑक्टोपस और उनके सजातीय जीव पशु कल्याण की नई दिशा हैं](#)


कश्मीरी कारीगरों ने डोडो को पंख दिए

संदर्भ

कश्मीर के पेपर-मैचे कारीगर प्रतीकात्मक पुष्प और वन प्रिंट से सजे रंगीन मॉडल तैयार करके विलुप्त हो चुके डोडो को पुनर्जीवित कर रहे हैं। इन हस्तनिर्मित डोडो की खास तौर पर यूरोप और मॉरीशस में बहुत मांग है।

डोडो(Dodo) के बारे में -

- डोडो एक उड़ने में असमर्थ पक्षी था जो हिंद महासागर में मॉरीशस द्वीप पर रहता था।
- पुर्तगाली और डच नाविकों द्वारा इसकी खोज के ठीक 70-80 साल बाद 1681 में इसे विलुप्त घोषित कर दिया गया था।
- यह मुलायम, भूरे पंखों से ढका हुआ एक बड़ा, मोटा पक्षी था, जिसकी पूंछ पर सफेद रंग का पल्ल (plume) था।
- डोडो पक्षी की सबसे निकटतम जीवित प्रजाति निकोबार कबूतर (Nicobar pigeon) है, जो जमीन पर रहता है।
- विलुप्ति के कारण:
 - शिकार: डोडो नाविकों के लिए आसान लक्ष्य था, जो इसके मांस के लिए इसे मार देते थे।
 - आवास की हानि: जैसे-जैसे मानव बस्तियां बढ़ीं, डोडो का प्राकृतिक आवास नष्ट हो गया।
 - अन्य जानवरों का परिचय: बसने वाले अन्य जानवरों को द्वीप पर लाए, जैसे बंदर, सूअर, कुत्ते और चूहे, जो डोडो का शिकार करते थे।



© Encyclopædia Britannica, Inc.

पेपर-मैचे क्राफ्ट के बारे में -

- कश्मीर घाटी का एक पारंपरिक हस्तशिल्प है, जिसे 14वीं शताब्दी में फारस से मुस्लिम संत मीर सैय्यद अली हमदानी द्वारा लाया गया था।
- इसमें रीसाइकिल किए गए कागज़ से पेपर पल्प बनाना शामिल है। यह अपने समृद्ध रंगों और सजावट के लिए भी जाना जाता है, जो अक्सर वनस्पतियों और जीवों, ज्यामितीय पैटर्न आदि को दर्शाते हैं।
- सामान्य उत्पाद: फूलदान, कटोरे, कप, बक्से, ट्रे, लैप बेस आदि।
- कश्मीरी पेपर-मैचे को भौगोलिक संकेत अधिनियम 1999 के तहत संरक्षित किया गया है और यह बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधित पहलुओं (ट्रिप्स) समझौते के अंतर्गत भी शामिल है।

स्रोत:

- [द हिंदू - कश्मीरी कारीगरों ने डोडो को पंख दिए](#)

स्वामित्व योजना के तहत 57 लाख कार्ड बांटे जाएंगे

संदर्भ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी केंद्रीय मंत्रियों को स्वामित्व योजना के तहत 57 लाख संपत्ति कार्ड वितरित करने के लिए आयोजित होने वाले सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेने का निर्देश दिया है।

स्वामित्व योजना के बारे में -

- स्वामित्व या **SVAMITVA** का अर्थ है - गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण।
- यह 2021 में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस (24 अप्रैल) पर शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
- योजना के उद्देश्य:
 - **वित्तीय परिसंपत्ति निर्माण:** संपत्ति का उपयोग ऋण और अन्य वित्तीय लाभों के लिए संपार्श्विक के रूप में किया जा सकता है। भूमि के टुकड़ों का बाजार मूल्य बढ़ेगा और गांवों में ऋण उपलब्धता में सुविधा होगी।
 - **राजस्व और कराधान:** संपत्ति करों के निर्धारण और संग्रहण को सक्षम बनाता है। सशक्त ग्राम पंचायतों वाले राज्यों को संपत्ति कर राजस्व से सीधे लाभ होगा।
 - **ग्रामीण नियोजन:** यह सटीक संपत्ति मानचित्र बनाकर ग्रामीण नियोजन को सुविधाजनक बनाएगा और **ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (GPDPs)** में सुधार करेगा।
 - **संपत्ति विवादों में कमी:** कानूनी स्वामित्व अधिकार से संपत्ति पर होने वाले विवादों में कमी आएगी। बेहतर संपत्ति रिकॉर्ड से अवैध कब्जों को रोकने में मदद मिलेगी।
- **नोडल मंत्रालय:** पंचायती राज मंत्रालय
- **शामिल हितधारक:** पंचायती राज मंत्रालय, राज्य राजस्व विभाग, राज्य पंचायती राज विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग।
- **महत्वपूर्ण विशेषताएं:**
 - नवीनतम ड्रोन प्रौद्योगिकी और छवियों को कैप्चर करने के लिए निरंतर संचालित संदर्भ स्टेशन (CORS) प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ग्रामीण परिवारों को अधिकारों का रिकॉर्ड प्रदान किया जाता है।
 - ऐसे सटीक मानचित्र जमीनी भौतिक माप की तुलना में बहुत कम समय में भूमि जोत का स्पष्ट सीमांकन प्रदान करते हैं।
- **वर्तमान उपलब्धि:**
 - अब तक 2 करोड़ संपत्ति कार्ड जारी किए जा चुके हैं।
 - हरियाणा और उत्तराखंड जैसे राज्यों ने पूर्ण कवरेज हासिल कर लिया है।
 - **भविष्य का लक्ष्य:** वित्त वर्ष 2025-26 तक पूरे देश को कवर करने का लक्ष्य।

स्रोत:

- [इंडियन एक्सप्रेस - प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से संपत्ति कार्ड वितरण कार्यक्रम में शामिल होने को कहा](#)

केंद्र ने कक्षा 5 और 8 के लिए नो-डिटेंशन नीति को समाप्त किया

संदर्भ

केंद्र सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र के तहत स्कूलों में कक्षा 5 और 8 के लिए नो-डिटेंशन नीति को समाप्त कर दिया है। इसका असर केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय जैसे स्कूलों पर पड़ेगा।

शिक्षा मंत्रालय के तहत नए नियमों के बारे में -

- **संशोधन अधिसूचना:**
 - मंत्रालय ने **निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम, 2010** में संशोधन कर इसमें डिटेंशन प्रावधान को शामिल किया है।
- **प्रमोशन और डिटेंशन प्रक्रिया:**
 - कक्षा 5 और 8 में रेगुलर परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को अतिरिक्त निर्देश दिए जाने चाहिए तथा 2 महीने के भीतर पुनः परीक्षा (**re-examination**) देनी चाहिए।
 - यदि वे पुनः परीक्षा में अनुत्तीर्ण होते हैं, तो उन्हें कक्षा में रोका जा सकता है।
- **शिक्षकों और स्कूलों की जिम्मेदारी:**
 - शिक्षकों को डिटेंन किए गए छात्रों और उनके अभिभावकों का मार्गदर्शन करना चाहिए तथा सीखने की कमियों को दूर करने के लिए विशेष सहायता प्रदान करनी चाहिए।
 - स्कूल प्रमुखों को डिटेंन किए गए छात्रों की सूची बनानी चाहिए तथा उनकी प्रगति पर बारीकी से नज़र रखनी चाहिए।
- **परीक्षा का प्रारूप:**
 - परीक्षाएं और पुनः परीक्षाएं **योग्यता-आधारित** होनी चाहिए, तथा याद करने के बजाय समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
- **प्रमुख सुरक्षा उपाय:**
 - प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे को स्कूल से निकाला नहीं जा सकता।

विधायी और नीतिगत पृष्ठभूमि

- **शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009:** धारा 16 में कक्षा 8 तक के छात्रों को डिटेंन करने पर रोक लगाई गई है।
- **2019 में संशोधन:**
 - राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को कक्षा 5 और 8 में छात्रों को दोबारा परीक्षा में असफल होने पर रोकने पर निर्णय लेने की अनुमति दी गई।
 - तब से, **18 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों** ने नो-डिटेंशन पॉलिसी को खत्म कर दिया है।

स्रोत:

- [द हिंदू - केंद्र ने कक्षा 5 और 8 के लिए 'नो-डिटेंशन' नीति को खत्म किया; सुधारात्मक उपायों पर जोर दिया](#)

समाचार संक्षेप में

राष्ट्रीय सेवा दल (RSD)

- RSD की स्थापना एनएस हार्डिंकर (नारायण सुब्बाराव हार्डिंकर) ने 1941 में की थी।
- इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान युवाओं को संगठित करने और राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- यह संगठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था और इसके कई सदस्य पार्टी की गतिविधियों में शामिल थे।
- पांडुरंग सदाशिव साने (साने गुरुजी) RSD से जुड़े एक महत्वपूर्ण नेता थे।

स्रोत:

- [इंडियन एक्सप्रेस - हमारे समय की एक गहरी राजनीति](#)

खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स (KZF)

- हाल ही में पंजाब में हुए ग्रेनेड हमले से जुड़े तीन खालिस्तान समर्थक आतंकवादी (KZF सदस्य) उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में मुठभेड़ में मारे गए।
- KZF एक उग्रवादी समूह है जिसकी स्थापना रणजीत सिंह नीता ने 1993 में की थी।
- यह खालिस्तान आंदोलन का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य पंजाब और पड़ोसी राज्यों हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को भारतीय संघ से अलग करके खालिस्तान नामक एक अलग देश बनाना है।
- KZF को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत एक आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। यूरोपीय संघ के देशों में भी इस पर प्रतिबंध है।

स्रोत:

- [द हिंदू - उत्तर प्रदेश में तीन संदिग्ध खालिस्तानी आतंकवादियों की गोली मारकर हत्या](#)

संपादकीय सारांश

भारत के 'स्टील फ्रेम' को जांच की जरूरत है

संदर्भ

भारतीय प्रशासनिक सेवा और व्यापक नौकरशाही के भीतर चल रही चुनौतियों ने प्रशासनिक सुधारों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया है।

भारत में IAS सेवाओं की पृष्ठभूमि

स्वतंत्रता-पूर्व युग

- **ब्रिटिश प्रशासन में उत्पत्ति:** ब्रिटिश भारत में सिविल सेवाएं **मैकाले की रिपोर्ट 1835** के कार्यान्वयन के साथ आईं।
 - बाद में **1858 में, भारत में ब्रिटिश द्वारा इंपीरियल सिविल सर्विस (ICS)** की स्थापना की गई।
 - इसे भारत में ब्रिटिश शासन को मजबूत करने और नौकरशाहों के एक छोटे, कुलीन कैडर के माध्यम से देश का प्रशासन करने के लिए डिज़ाइन किया गया था।
- **प्रतियोगी परीक्षा:** ICS में भर्ती लंदन में आयोजित उच्च प्रतियोगी परीक्षाओं पर आधारित थी।
 - इससे भारतीयों के लिए बाधा उत्पन्न हो गई, क्योंकि बहुत कम लोग विदेश में अध्ययन या यात्रा करने में सक्षम थे।
- **ICS में भारतीय:** बाधाओं के बावजूद, **सत्येंद्रनाथ टैगोर (1863)** और **आर.सी. दत्त** जैसे शुरुआती भारतीय अग्रदूत ICS में शामिल हुए।
 - 20वीं सदी की शुरुआत में, **मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार (1919)** जैसे सुधारों ने सेवा में भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़ा दिया।
- **शासन में भूमिका:** औपनिवेशिक प्रशासन की रीढ़, कानून और व्यवस्था, राजस्व संग्रह और ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों के कार्यान्वयन से निपटना।

स्वतंत्रता के बाद का युग

- **सेवाओं की निरंतरता:** 1947 में स्वतंत्रता के बाद, 1950 में **ICS** का नाम बदलकर भारतीय प्रशासनिक सेवा (**IAS**) कर दिया गया, जो अखिल भारतीय सेवाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया।
 - इसे संक्रमणकालीन अवधि के दौरान प्रशासनिक स्थिरता और प्रभावी शासन सुनिश्चित करने के लिए जारी रखा गया था।
- **लोकतांत्रिक भर्ती:** संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को सुलभता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए खुली, योग्यता-आधारित परीक्षाएं आयोजित करने का काम सौंपा गया।
 - इससे हाशिए पर पड़े समुदायों सहित समाज के एक व्यापक वर्ग को IAS में शामिल होने का अवसर मिला।
- **राष्ट्र निर्माण में भूमिका:** IAS, स्वतंत्र भारत के **नियोजित विकास दृष्टिकोण**, पंचवर्षीय योजनाओं, औद्योगिक नीतियों और सामाजिक-आर्थिक सुधारों के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय बन गया।



- अधिकारियों को कानून और व्यवस्था बनाए रखने, राजस्व का प्रबंधन करने और कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित करने का काम सौंपा गया।
- समय के साथ, शासन में पारदर्शिता, समावेशिता और जवाबदेही में सुधार पर जोर दिया गया।

चुनौतियाँ क्या हैं?

- **IAS का राजनीतिकरण:**
 - स्थानांतरण, निलंबन और पदोन्नति को प्रभावित करने वाली राजनीतिक वफादारी।
 - मनोबल, व्यावसायिकता और योग्यता को कमजोर करता है।
- **विशेषज्ञता का अभाव:**
 - बार-बार विभाग स्थानांतरण अधिकारियों को डोमेन विशेषज्ञता विकसित करने से रोकता है।
 - जटिल शासन चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने की उनकी क्षमता को सीमित करता है।
- **भ्रष्टाचार और अक्षमता:** नौकरशाही में भ्रष्टाचार, विश्वास को खत्म करता है और नीति कार्यान्वयन में बाधा डालता है।
 - उदाहरण के लिए, प्रणालीगत अक्षमताओं को दर्शाने वाले विकास संकेतकों के विश्व बैंक संग्रह के अनुसार, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने में भारत की प्रतिशत रैंक में मामूली अंतर से सुधार हुआ है, जो 2014 में 39.9 से बढ़कर 2022 में 44.3 हो गया है।
- **केंद्रीकृत निर्णय-प्रक्रिया:** IAS के भीतर निर्णय-प्रक्रिया अत्यधिक केंद्रीकृत है, जो नवाचार को बाधित कर सकती है और शासन प्रक्रियाओं में निचले स्तर के प्रशासकों और स्थानीय हितधारकों की भागीदारी को सीमित कर सकती है।
- **संरचनात्मक कमजोरियाँ:**
 - पुरानी कार्मिक पद्धतियाँ, जवाबदेही की कमी और प्रदर्शन की निगरानी।
 - नौकरशाही जड़ता सुधारों के कार्यान्वयन में बाधा डालती है।
- **अति-केंद्रीकरण का जोखिम:** प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ) की शक्तियों में अधिक वृद्धि वरिष्ठ IAS अधिकारियों को शक्तिहीन कर सकती है, जिससे उनकी स्वायत्तता प्रभावित होगी।
- **एआरसी की सिफ़ारिशों का सीमित कार्यान्वयन:** प्रशासनिक सुधार आयोग (एआरसी) की कई सिफ़ारिशें नौकरशाही की जड़ता और राजनीतिक प्रतिरोध के कारण लागू नहीं हो पाई हैं।

प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (1966)

- **विशेषज्ञता:** सिविल सेवकों के लिए उनके संबंधित क्षेत्रों में विशेष प्रशिक्षण की सिफारिश की गई।
 - शासन के विशिष्ट क्षेत्रों को संभालने के लिए समर्पित विभागों के निर्माण की वकालत की गई।
- **जवाबदेही:** पारदर्शिता और जवाबदेही तंत्र की आवश्यकता पर जोर दिया गया।
 - दक्षता सुनिश्चित करने के लिए नियमित प्रदर्शन मूल्यांकन और जांच का सुझाव दिया गया।
- **निर्णय-प्रक्रिया को मजबूत बनाना:** स्थानीय प्रशासन को सशक्त बनाने के लिए निर्णय-प्रक्रिया के विकेंद्रीकरण की वकालत की।

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2005)

- **लेटरल एंट्री:** विशेषज्ञता और प्रतिस्पर्धा शुरू करने के लिए IAS के बाहर के पेशेवरों को नौकरशाही में शामिल होने की अनुमति देने की सिफारिश की गई।
- **योग्यता-आधारित पदोन्नति:** वरिष्ठता या राजनीतिक प्रभाव के बजाय पदोन्नति के लिए प्रदर्शन-आधारित मूल्यांकन की वकालत की गई।
- **कम प्रवेश आयु:** युवा प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए सिविल सेवाओं में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा को कम करने का सुझाव दिया गया।
- **मनमाने ढंग से स्थानांतरण के विरुद्ध सुरक्षा उपाय:**
 - राजनीतिकरण को कम करने के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी स्थानांतरण नीतियों को सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत तंत्र का प्रस्ताव।
- **प्रदर्शन-आधारित शासन:** जवाबदेही और दक्षता बढ़ाने के लिए प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहन की शुरुआत की गई।
- **प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना:** डिजिटलीकरण, ई-गवर्नेंस और नौकरशाही प्रक्रियाओं के सरलीकरण पर ध्यान केंद्रित।

सुधार के लिए सरकार का प्रयास

- केंद्र सरकार ने पारंपरिक IAS-केंद्रित मॉडल की सीमाओं को चिन्हित किया और निजी क्षेत्र और अन्य सरकारी सेवाओं के डोमेन विशेषज्ञों को वरिष्ठ नौकरशाही भूमिकाओं में लाने के लिए लेटरल एंट्री की शुरुआत की।
 - 2018 से, सरकार ने सक्रिय रूप से विशिष्ट ज्ञान वाले व्यक्तियों की भर्ती की है, 2023 तक 57 अधिकारियों की नियुक्ति की है।
 - इस भर्ती का उद्देश्य नए दृष्टिकोण और विशेषज्ञता के साथ नीति निर्धारण को बढ़ाना है।
- संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने हाल ही में लेटरल एंट्री के लिए 45 पदों का विज्ञापन दिया, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों में संयुक्त सचिवों और निदेशकों के पद भी शामिल हैं।
- इससे केंद्र में संयुक्त सचिवों की संरचना में बदलाव आया है, जहां अब केवल 33% IAS से संबंधित हैं, जो पिछले वर्षों की तुलना में एक महत्वपूर्ण कमी है।

प्रतिरोध और आलोचना

- **लेटरल एंट्री** पहल को सेवानिवृत्त सिविल सेवकों और विपक्षी दलों सहित आलोचकों की प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा है, जो तर्क देते हैं कि इससे मौजूदा अधिकारियों का मनोबल कम हो सकता है और हाशिए पर स्थित समूहों के लिए आरक्षण प्रावधानों का अभाव है।
- सहयोगियों के राजनीतिक दबाव और सामाजिक न्याय पर चिंताओं के कारण, सरकार ने हाल ही में सरकारी सेवाओं में समान प्रतिनिधित्व की आवश्यकता पर बल देते हुए, लेटरल एंट्री के लिए यूपीएससी विज्ञापनों को रद्द करने का अनुरोध किया।

नौकरशाही सुधार की चुनौतियाँ

- **संस्थागत प्रतिरोध:** लेटरल एंट्री, प्रदर्शन-आधारित पदोन्नति और विशेष प्रशिक्षण जैसे सुधारों के प्रस्तावों को अक्सर सेवा के भीतर से विरोध का सामना करना पड़ता है, जहां वरिष्ठता-आधारित प्रगति आदर्श है।
- **राजनीतिक हस्तक्षेप:** राजनीतिक उद्देश्यों से प्रभावित मनमाने स्थानांतरण और पदोन्नति सुधार प्रयासों को कमजोर करते हैं।
 - सिविल सेवा मानक, प्रदर्शन और जवाबदेही विधेयक (2010) जैसे सुरक्षा उपाय पेश करने के प्रयास विधायी प्रक्रियाओं में रुके हुए हैं।
- **न्यायिक हस्तक्षेपों का सीमित प्रभाव:** निष्पक्ष स्थानांतरण और पोस्टिंग सुनिश्चित करने के लिए **सिविल सेवा बोर्ड** स्थापित करने के उच्चतम न्यायालय के 2013 के निर्देश में प्रवर्तन की कमी के कारण खराब कार्यान्वयन देखा गया है।
- **अपर्याप्त प्रदर्शन मेट्रिक्स:** नौकरशाही दक्षता और जवाबदेही का मूल्यांकन करने के लिए एक मजबूत ढांचे का अभाव।
 - पदोन्नति और प्लेसमेंट पर निर्णय लगातार मापने योग्य प्रदर्शन परिणामों पर आधारित नहीं होते हैं।

सुधार के उपाय

- **भर्ती में योग्यता और विशेषज्ञता:** चयन के दौरान डोमेन-विशिष्ट ज्ञान और कौशल वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता देना।
- **प्रदर्शन-आधारित पदोन्नति:** कैरियर में उन्नति को वरिष्ठता के बजाय मात्रात्मक और पारदर्शी प्रदर्शन मेट्रिक्स से जोड़ना।
- **मनमाने तबादलों के खिलाफ सुरक्षा:** राजनीति से प्रेरित तबादलों और निलंबन को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय लागू करना।
- **विशेषज्ञता को बढ़ावा देना:** नीतिगत परिणामों में सुधार के लिए नौकरशाहों को स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और शिक्षा जैसे प्रमुख शासन क्षेत्रों में विशेषज्ञता के लिए प्रोत्साहित करना।
- **डेटा-संचालित नौकरशाही प्रबंधन:** प्लेसमेंट और पदोन्नति पर सूचित निर्णय लेने को सुनिश्चित करने, प्रदर्शन की निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए एक मजबूत डेटा बुनियादी ढांचे में निवेश करना।
- **समग्र और लागू सुधार:** प्रशासनिक सुधार के लिए एक बहुआयामी, समयबद्ध रणनीति अपनाना, प्रस्तावित परिवर्तनों के लिए मजबूत प्रवर्तन तंत्र सुनिश्चित करना।

अन्य मॉडलों से सर्वोत्तम अभ्यास

- **अमेरिकी सरकारी दक्षता विभाग (DOGE):** नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के तहत अमेरिका का प्रस्तावित सरकारी दक्षता विभाग (DOGE) भारत में प्रशासनिक सुधारों के लिए प्रेरणा प्रदान करता है।
 - DOGE उद्योग के नेताओं की अंतर्दृष्टि के साथ, अक्षमता को कम करने, अनावश्यक एजेंसियों को खत्म करने और जवाबदेही तंत्र शुरू करने पर केंद्रित है।
- **भारत में एक समान निकाय की संभावना:** अक्षमताओं की पहचान करने, डेटा-संचालित निर्णय लेने को बढ़ावा देने और नौकरशाहों के लिए प्रदर्शन मेट्रिक्स विकसित करने के लिए भारत में एक समयबद्ध सलाहकार आयोग की स्थापना करना।

स्रोत: [द हिंदू: भारत के 'स्टील फ्रेम' को जांच की जरूरत है](#)

विश्व व्यापार संगठन का GATT-करण

संदर्भ

जिनेवा स्थित विश्व व्यापार संगठन (WTO) अपनी विवाद निपटान प्रणाली, विशेष रूप से अपीलीय निकाय (AB) में गंभीर संकट का सामना कर रहा है, जो दिसंबर 2019 से बंद पड़ा है।

समाचार के बारे में और अधिक जानकारी

- इस मौजूदा स्थिति के लिए मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा नए अपीलीय निकाय के सदस्यों की नियुक्ति को अवरुद्ध करने को जिम्मेदार ठहराया गया है, यह रुख बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रम्प और जो बिडेन सहित कई प्रशासनों में कायम रहा है।

विश्व व्यापार संगठन का आधारभूत वादा (1995)

- **उत्पत्ति और दृष्टि:**
 - 1995 में स्थापित, GATT (1948-1994) से नियम-आधारित प्रणाली में परिवर्तन।
 - वस्तुओं, सेवाओं और बौद्धिक संपदा के लिए व्यापक व्यापार नियम लागू किये गये।
 - अपीलीय कार्य, अनिवार्य क्षेत्राधिकार और प्रभावी प्रतिशोध तंत्र के साथ दो स्तरीय विवाद निपटान प्रणाली।
- **नवउदारवादी प्रभाव:**
 - यह 1990 के दशक में नवउदारवादी विचारधारा के उदय को दर्शाता है।
 - विद्वानों ने WTO को एक संवैधानिक परियोजना के रूप में देखा, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर अंतर्राष्ट्रीय कानून को प्राथमिकता देता है।
 - पूर्व WTO विवाद निपटान अध्यक्ष सेल्सो लाफर ने इसे व्यापार में "वैधता का बढ़ना" बताया है।

विश्व व्यापार संगठन प्रणाली का विघटन

- **चीन की भूमिका:**
 - 2001 में अमेरिका के समर्थन से विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ, जिससे यह अपेक्षा की गई कि चीन मुक्त बाजार के सिद्धांतों को अपनाएगा तथा राज्य-प्रेरित औद्योगिक नीतियों को त्याग देगा।
 - यह अपेक्षा पूरी नहीं हुई, और अमेरिका का मानना है कि चीन ने WTO प्रणाली का अपने लाभ के लिए दोहन किया।
- **अमेरिकी प्रतिक्रिया:**
 - अमेरिका विश्व व्यापार संगठन को चीन की चुनौती से निपटने में बाधा मानता है।
 - ट्रम्प प्रशासन ने 2018 में विश्व व्यापार संगठन के नियमों का उल्लंघन करते हुए **चीनी उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाया था।**
 - ट्रम्प द्वारा अतिरिक्त टैरिफ लगाने के वादे संरक्षणवादी नीतियों की ओर वापसी का संकेत देते हैं।

वर्तमान चुनौतियाँ

- **परिचालन अकुशलता:** जबकि विश्व व्यापार संगठन के पैनल पहले चरण में विवादों का समाधान करने के लिए काम कर रहे हैं, गैर-कार्यात्मक स्वायत्त संगठनों के समक्ष अपील ने इन निर्णयों को अप्रभावी बना दिया है।
- **राजनीतिक गतिशीलता:** संरक्षणवादी ट्रम्प प्रशासन की प्रत्याशित वापसी विश्व व्यापार संगठन और इसके विवाद समाधान तंत्र के लिए मामलों को और अधिक जटिल बना सकती है।

- **समाधान तंत्र का अभाव:** 2019 से, अपीलीय निकाय में अपील किए गए मामले अनसुलझे रह गए हैं, जिससे एक "कानूनी शून्य" पैदा हो गया है, जहां जीतने वाले पक्ष WTO कानून के तहत अपने अधिकारों को लागू नहीं कर सकते हैं।

सुधार के प्रयास


- **बहु-पक्षीय अंतरिम अपील मध्यस्थता व्यवस्था (MPIA):** अपीलीय निकाय की निष्क्रियता के जवाब में, कुछ WTO सदस्यों ने अस्थायी समाधान के रूप में 2020 में MPIA की स्थापना की।
 - हालाँकि, इसने 4 वर्षों में केवल एक मामले का निपटारा किया है तथा इसमें सीमित भागीदारी देखी गई है।
- **मोलिना प्रक्रिया:** जून 2022 में 12वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC12) में की गई प्रतिबद्धताओं के बाद, 2024 तक संपूर्ण विवाद निपटान प्रणाली में सुधार के लिए चर्चा चल रही है।
 - मार्को ट्यूलियो मोलिना की सुविधा के तहत अमेरिका ने इन चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लिया है।

भविष्य का दृष्टिकोण

2024 तक विवाद निपटान प्रणाली में सुधार और पुनरुद्धार के प्रयासों के बावजूद:

- अपीलीय निकाय से जुड़े अनसुलझे मुद्दों के कारण इन सुधारों की प्रभावशीलता अनिश्चित बनी हुई है।
- अंतर्राष्ट्रीय वकीलों के बीच यह धारणा बढ़ती जा रही है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों में संकट नहीं, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है - कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रतिबद्धताओं से हटकर अधिक कूटनीतिक वार्ता की ओर बढ़ रहा है, जो GATT युग की याद दिलाता है।

स्रोत: [द हिंदू: विश्व व्यापार संगठन का गैट-करण](#)



महत्वपूर्ण खनिजों के लिए भारत की चीन पर निर्भरता

संदर्भ

- खान मंत्रालय ने 2023 में भारत के आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक 30 महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान की है।
- रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत इनमें से 10 महत्वपूर्ण खनिजों के लिए पूरी तरह से आयात पर निर्भर है।
- हालाँकि, यह एक अधिक जरूरी मुद्दे पर ध्यान देने में विफल रहा: चीन पर भारत की निर्भरता की सीमा और प्रकृति।

1. Antimony	15. Nickel	iv. Neodymium	20. Rhenium
2. Beryllium	16. PGE	v. Promethium	21. Selenium
3. Bismuth	i. Platinum	vi. Samarium	22. Silicon
4. Cadmium	ii. Palladium	vii. Europium	23. Strontium
5. Cobalt	iii. Rhodium	viii. Gadolinium	24. Tantalum
6. Copper	iv. Ruthenium	ix. Terbium	25. Tellurium
7. Gallium	v. Iridium	x. Dysprosium	26. Tin
8. Germanium	vi. Osmium	xi. Holmium	27. Titanium
9. Graphite	17. Phosphorous	xii. Erbium	28. Tungsten
10. Hafnium	18. Potash	xiii. Thulium	29. Vanadium
11. Indium	19. REE	xiv. Ytterbium	30. Zirconium
12. Lithium	i. Lanthanum	xv. Lutetium	
13. Molybdenum	ii. Cerium	xvi. Scandium	
14. Niobium	iii. Praseodymium	xvii. Yttrium	

महत्वपूर्ण खनिजों में चीन का प्रभुत्व

- **संसाधन आधार और निवेश:**
 - चीन दुनिया का सबसे बड़ा खनन राष्ट्र है जिसमें 173 प्रकार के खनिज हैं, जिनमें शामिल हैं:
 - 13 ऊर्जा खनिज, 59 धात्विक खनिज, और 95 अधात्विक खनिज।
 - 2023 में, चीन अन्वेषण में 19.4 बिलियन डॉलर का निवेश करेगा, जिससे 34 बड़े सहित 132 नए खनिज भंडारों की खोज होगी।
 - **प्रमुख खनिज भंडार:** तांबा, सीसा, जस्ता, निकल, कोबाल्ट, लिथियम, गैलियम, जर्मेनियम, क्रिस्टलीय ग्रेफाइट, और अन्य।
- **प्रसंस्करण और शोधन क्षमताएं:**
 - **दुर्लभ मृदा धातु** प्रसंस्करण का 87%, लिथियम शोधन का 58% और सिलिकॉन प्रसंस्करण का 68% नियंत्रित करता है।
 - खनन और शोधन में रणनीतिक विदेशी निवेश से आपूर्ति श्रृंखला नियंत्रण में वृद्धि होती है।

चीन के रणनीतिक निर्यात नियंत्रण

- **निर्यात का शस्त्रीकरण:** सेमीकंडक्टर्स, बैटरियों और उच्च तकनीक विनिर्माण के लिए महत्वपूर्ण खनिजों को लक्ष्य बनाया गया है।
 - **उदाहरण:**
 - 2010 में जापान के खिलाफ दुर्लभ मृदा धातु प्रतिबंध

- 2023 गैलियम, जर्मेनियम और एंटीमनी निर्यात पर प्रतिबंध।
- दिसंबर 2023 में दुर्लभ मृदा धातु निष्कर्षण और प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों पर प्रतिबंध।
- **रणनीतिक संतुलन:** पश्चिमी कच्चे माल पर अत्यधिक निर्भर खनिजों को नियंत्रित करने से बचा जाता है।
 - अपने घरेलू औद्योगिक और निर्यात-निर्भर क्षेत्रों के लिए विघटनकारी कार्यों से बचना।


चीन पर भारत की निर्भरता

China, a leading player in critical minerals

China's dominance in critical minerals stems from its vast resource base and strategic investments across the value chain. As the world's largest mining nation, China has discovered 173 types of minerals

China's global market share (in percentage) across various minerals as of 2022

■ China ■ Others



- **महत्वपूर्ण खनिज आयात निर्भरता (2019-2024):**
 - **बिस्मथ (85.6%):** फार्मास्यूटिकल्स और रसायनों में उपयोग किया जाता है; चीन वैश्विक रिफाइनरी उत्पादन का 80% नियंत्रित करता है।
 - **लिथियम (82%):** EV बैटरी के लिए महत्वपूर्ण; चीन वैश्विक आपूर्ति का 58% परिष्कृत करता है।
 - **सिलिकॉन (76%):** सेमीकंडक्टर्स और सौर पैनलों के लिए महत्वपूर्ण; उन्नत प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी की आवश्यकता।
 - **टाइटेनियम (50.6%):** एयरोस्पेस और रक्षा के लिए महत्वपूर्ण; विविधीकरण मौजूद है लेकिन स्विचिंग लागत अधिक है।
 - **टेल्यूरियम (48.8%):** सौर ऊर्जा और तापविद्युत उपकरणों में उपयोग किया जाता है; चीन विश्व स्तर पर इसका 60% उत्पादन करता है।

- **ग्रेफाइट (42.4%):** EV बैटरी और इस्पात उत्पादन के लिए आवश्यक; बैटरी-ग्रेड ग्रेफाइट सहित वैश्विक उत्पादन में चीन का प्रभुत्व 67.2% है।

भारत की आयात निर्भरता के कारण

- **खनन में संरचनात्मक चुनौतियाँ:** महत्वपूर्ण खनिज अक्सर गहरे स्थित होते हैं, जिसके लिए अन्वेषण और खनन प्रौद्योगिकियों में उच्च जोखिम वाले निवेश की आवश्यकता होती है।
 - प्रोत्साहन और नीतिगत समर्थन के अभाव ने निजी क्षेत्र की भागीदारी को बाधित किया है।
- **सीमित प्रसंस्करण क्षमताएं:** भारत में निष्कर्षण और प्रसंस्करण के लिए उन्नत तकनीकी क्षमता का अभाव है।
 - **उदाहरण:** जम्मू और कश्मीर के लिथियम भंडार (5.9 मिलियन टन) मिट्टी के रूप में हैं, लेकिन भारत के पास उन्हें कुशलतापूर्वक निकालने की तकनीक का अभाव है।

निर्भरता कम करने के लिए भारत के प्रयास

- **रणनीतिक पहल:**
 - **KABIL** (खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड): विदेशी खनिज परिसंपत्तियों को सुरक्षित करने के लिए तीन सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों का एक संयुक्त उद्यम।
 - **सदस्यता:**
 - खनिज सुरक्षा भागीदारी (एमएसपी)
 - विविधीकरण और साझेदारी के लिए क्रिटिकल रॉ मटेरियल क्लब।
- **अनुसंधान में निवेश:** स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के साथ सहयोग।
- **चक्रीय अर्थव्यवस्था और पुनर्चक्रण:**
 - नवीन खनिजों पर निर्भरता कम करने के लिए पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना।
 - पुनर्चक्रण के माध्यम से महत्वपूर्ण खनिजों के निष्कर्षण के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन।

आगे की राह

- **सतत निवेश:** खनन और प्रसंस्करण चुनौतियों से निपटने के लिए दीर्घकालिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है।
- **विविधीकरण:** चीनी आपूर्ति पर निर्भरता कम करने के लिए साझेदारी का विस्तार करना।
- **स्वदेशी क्षमताओं को बढ़ाना:** महत्वपूर्ण खनिजों के निष्कर्षण और शोधन के लिए तकनीकी क्षमता का विकास करना।


स्रोत: [द हिंदू: महत्वपूर्ण खनिजों के लिए भारत की चीन पर निर्भरता](#)

कुछ सकारात्मक, कुछ चिंताएं

संदर्भ

2024 की पहली तीन तिमाहियों में आर्थिक उत्पादन में गिरावट के बावजूद भारत की दीर्घकालिक विकास कहानी बरकरार है।

अर्थव्यवस्था में सकारात्मकता -



● सरकारी खर्च

- चुनाव के बाद राजकोषीय खर्च में वृद्धि होने की उम्मीद है।
- **सीआरआर में कटौती:** हाल ही में नकद आरक्षित अनुपात में कटौती से बैंकिंग प्रणाली में अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध हुई है।
- **पूंजीगत व्यय चक्र पुनरुद्धार:** कुछ क्षेत्रों में नए सिरे से निवेश आधारित वृद्धि देखी गई है, पूंजीगत वस्तु कंपनियों के लिए ऑर्डर बैकलॉग में वृद्धि से गतिविधि में सुधार का संकेत मिलता है।
- **उपयोगिता धुरी:** नवीकरणीय ऊर्जा से ताप विद्युत की ओर वापसी से वर्षों तक ताप विद्युत क्षमता में कोई वृद्धि न होने के बाद औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिल सकता है।

● एमएसएमई की संभावित रिकवरी

- विमुद्रीकरण, जीएसटी कार्यान्वयन और महामारी जैसे झटकों से प्रभावित एमएसएमई संभावित रूप से उबर रहे हैं और कॉर्पोरेट्स के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।
- **ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार:** शहरी विकास धीमा होने के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में खपत में तेजी आ रही है।
- **रोजगार लाभ:** आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) वेतनभोगी रोजगार में सुधार और महिला श्रम बल भागीदारी में वृद्धि का संकेत देता है:

- स्नातकोत्तर महिलाओं का रोजगार 34.5% (वित्त वर्ष 18) से बढ़कर 39.6% (वित्त वर्ष 24) हो गया।
- उच्चतर माध्यमिक स्तर पर महिलाओं का रोजगार 11.4% से बढ़कर 23.9% हो गया।
- **सेवाओं में वृद्धि**
 - **सेवा अधिशेष:** आईटी निर्यात, सीमा पार दूरसंचार बैंडविड्थ विस्तार और दूरस्थ कार्य प्रवृत्तियों द्वारा प्रेरित होकर अक्टूबर 2024 में एक नए उच्च स्तर पर पहुंच जाएगा।
 - **वस्तु बनाम सेवा निर्यात:** मजबूत आईटी विकास और वस्तु मांग में उछाल के कारण नवंबर 2024 में सेवा निर्यात, वस्तु निर्यात से आगे निकल गया।
 - **प्रौद्योगिकी जोखिम:** नई एआई प्रौद्योगिकियां आईटी निर्यात संरचना को चुनौती दे सकती हैं।

अर्थव्यवस्था में नकारात्मकता

- **सुस्त निवेश**
 - कोविड-पूर्व कॉर्पोरेट कर कटौती के बावजूद कॉर्पोरेट निवेश संघर्ष कर रहा है।
 - **शहरी मांग संबंधी मुद्दे:** नेस्ले और टाटा कंज्यूमर जैसी कंपनियों ने उच्च खाद्य मुद्रास्फीति और चुनाव संबंधी कारकों के कारण शहरी मांग में कमी की रिपोर्ट दी है।
 - **निवेश वातावरण में चुनौतियाँ:** भारत के कर कानून और प्रशासन आशावाद में बाधा डालते हैं।
- **बचत-निवेश अंतर**
 - **घटती बचत:** घरेलू वित्तीय बचत वित्त वर्ष 22 में 7.3% से घटकर वित्त वर्ष 23 में सकल घरेलू उत्पाद का 5.3% हो गई, जो पिछले दशक के 8% औसत से भी कम है।
 - **बढ़ता ऋण:** घरेलू ऋण सकल घरेलू उत्पाद का 5.8% हो गया, जो 1970 के दशक के बाद से दूसरा उच्चतम स्तर है।
 - वित्तीय बचत तेजी से बैंकिंग क्षेत्र को नजरअंदाज कर रही है, जिससे चिंताएं और बढ़ रही हैं।
- **ऋण वृद्धि में गिरावट**
 - 2021 से परिवारों और उद्योगों के लिए ऋण वृद्धि में गिरावट आ रही है।
 - **बांड-वित्तपोषित सरकारी व्यय:** इसका उपयोग विकास को प्रोत्साहित करने के बजाय बड़े पैमाने पर पुराने ऋण को साफ करने के लिए किया जाता है।
 - **बढ़ते एनपीए:** व्यक्तिगत ऋण और क्रेडिट कार्ड खंडों में नई गैर-निष्पादित परिसंपत्ति चिंताएं, जो असुरक्षित हैं और उच्च ब्याज दरें हैं।
- **राजकोषीय विवेक**
 - **केंद्र:** राजकोषीय घाटे में कमी (वित्त वर्ष 2024 में सकल घरेलू उत्पाद का 6.4% से 5.9%) सार्वजनिक ऋण को सकल घरेलू उत्पाद के ~83% पर स्थिर करती है।
 - **राज्य:** बढ़ती सब्सिडी (कृषि ऋण माफी, नकद हस्तांतरण) राजकोषीय समस्या उत्पन्न करती है।
 - **हैडआउट योजनाओं की लागत:** 14 राज्य 2025 तक महिला-लक्षित योजनाओं पर सालाना 1.9 लाख करोड़ रुपये (जीडीपी का ~ 0.6%) खर्च कर सकते हैं।

स्रोत: [द इंडियन एक्सप्रेस: कुछ सकारात्मक, कुछ चिंताएं](#)